54

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0प्र0 ग्वालियर

समक्ष

एस0एस0अली

सदस्य

प्रकरण कमांक : 1659–तीन/2006, निगरानी – विरूद्व आदेश, दिनांक 17–7–2006 – पारित व्दारा – अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा – प्रकरण कमांक 507/2005–06 निगरानी

1– दिनेश प्रसाद पुत्र मोहई प्रसाद
2– मोलई प्रसाद पुत्र रामदुलारे
दोनों ग्राम हिनोता तहसील मझौली
जिला सीधी मध्य प्रदेश ——आवेदकगण

विरूद्व

मंगलप्रसाद पुत्र रामदुलारे
ग्राम हिनोता तहसील मझौली
जिला सीधी मध्य प्रदेश ——अनावेदक

(आवेदक के अभिभाषक संतोष कुमार मिश्रा)
(अनावेदक सूचना उपरांत अनुपस्थित – एकपक्षीय)

आ दे श

(आज दिनांक 10 – 07 –2018 को पारित)

यह निगरानी अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के प्रकरण कमांक 507/05–06 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 17-7-2006 के विरूद्व म0प्र0 भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि ग्राम मझौली की भूमि सर्वे कमांक 98, 186, 196 कुल किता 3 कुल रकबा 2-007 हैक्टर पर पटवारी की नामान्तरण पंजी के सरल कमांक 4 पर आदेश दिनांक 16-2-1987 से राजस्व निरीक्षक ने आवेदकगण के नाम नामान्तरण किया। इस आदेश के विरूद्व अनुविभागीय अधिकारी मझौली के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई। अनुविभागीय अधिकारी मझौली ने प्रकरण

कमांक 38/1998-99 अपील में पारित आदेश दिनांक 31-10-2000 से अपील निरस्त कर दी। इस आदेश के विरूद्ध अनावेदक ने अपर कलेक्टर सीधी के समक्ष निगरानी प्रस्तुत की। अपर कलेक्टर सीधी ने निगरानी प्रकरण कमांक 31/2000-01 में पारित आदेश दिनांक 19-5-2006 से निगरानी स्वीकार कर अनुविभागीय अधिकारी मझौली का आदेश दिनांक 31-10-2000 निरस्त करते हुये प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया कि उभय पक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर देकर पुनः विधि अनुसार आदेश पारित किया जावे। अपर कलेक्टर सीधी के आदेश दिनांक 19-5-2006 के विरूद्ध अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के समक्ष निगरानी प्रस्तुत की गई। अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा ने प्रकरण कमांक 507/05—06 निगरानी में पारित आदेश दि.17-7-2006 से निगरानी निरस्त कर दी। इसी आदेश से परिवेदित होकर यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

3/ निगरानी मेमो में अंकित आधारों पर आवेदकगण के अभिभाषक के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया। अनावेदक सूचना उपरांत अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय है।

4/ आवेदकगण के अभिभाषक का तर्क है कि अपर आयुक्त, रीवा ने अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख देखे बिना निगरानी निरस्त करने में भूल की है क्योंकि विचारण न्यायालय ने सहमति के आधार पर पारिवारिक व्यवस्था के अंतर्गत नामान्तरण किया था जो प्रथम अपील में अनुविभागीय अधिकारी मझगवां ने यथावत् रखा है किन्तु अपर जिलाध्यक्ष ने निगरानी के सींगे में प्रकरण दर्ज करके अनुविभागीय अधिकारी मझगवां के विधिवत् आदेश को निरस्त करके प्रकरण रिमान्ड करने में भूल की है और इस पर अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा ने आदेश दिनांक 17-7-2006 पारित करते समय ध्यान न देने में भूल की है इसलिये अपर आयुक्त एंव अपर कलेक्टर के आदेश निरस्त किये जाकर अनुविभागीय अधिकारी मझगवां के आदेश को यथावत् किया जाय।

5/ आवेदक के अभिभाषक के तर्को के कम में अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन पर स्थिति यह है कि अनुविभागीय अधिकारी मझगवां ने

आदेश दिनांक 31-10-2000 से इस प्रकार का निष्कर्ष देते हुये अपील निरस्त की है :-

" रामदुलारे तनय सरजूराम ब्रा. व्दारा अपने भूमिस्वामी हक की भूमि का अंतरण उत्तरवादी क–1 के विरूद्व किया गया है तथा नामान्तरण पंजी में सहमति स्वरूप हस्ताक्षर भी बनाया है। प्रस्तुत तथ्यों से यह स्पष्ट नहीं है कि विवादित भूमि पैतृक थी या स्वअर्जित तथा वह भी नहीं पुष्टि होता है कि पंजी में बने हुये रामदुलारे के हस्ताक्षर गलत हैं। अतः रामदुलारे की सहमति मानी जावेगी। " .

जब अनुविभागीय अधिकारी को संदेह उत्पन्न हो रहा था कि रामदुलारे तनय सरजूराम ब्रा. व्दारा अपने भूमिस्वामी हक की भूमि का अंतरण उत्तरवादी क–1 के विरूद्व किया गया है तब क्या विधिक प्रकिया के अनुरूप जैसे विक्रय पत्र व्दारा अथवा तत्समय प्रचलित अन्य विधिक प्रकिया व्दारा अंतरण हुआ है एंव ऐसे अंतरण पर क्या अंतरण ग्रहीता का नामान्तरण किया जा सकता है अथवा नहीं ? भूमि पैत्रिक है अथवा स्वअर्जित है ? बिना तथ्यों की पूर्ण जांच के अनुविभागीय अधिकारी व्दारा भ्रमपूर्ण स्थिति का उक्तानुसार निष्कर्ष देते हुये अपील निरस्त करने में त्रृटि की गई थी, जिसकी पूर्ण जांच किये जाने एंव पक्षकारों को सही न्याय मिल सके, इसी उद्वेश्य से अपर कलेक्टर सीधी ने आदेश दिनांक 19-5-2006 से पुनः जांच एंव सुनवाई हेतु प्रकरण प्रत्यावर्तित किया है जिसके कारण अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा ने आदेश दिनांक 17-7-2006 पारित करते समय अपर कलेक्टर के आदेश को हस्तक्षेप योग्य नहीं माना है।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी सारहीन होने से निरस्त की जाती है एंव अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा व्दारा प्रकरण कमांक 507/05–06 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 17-7-2006 उचित होने से यथावत् रखा जाता है।

(एस0एस0अली)

सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर